प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 23.11.2026

थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए दो अभियुक्तों को कुल 46 ग्राम स्मैक सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना रोजा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.11.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम शांति व्यवस्था ड्यूटी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान क्षेत्र में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) लेकर अटसलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास ग्राम अटसलिया में खड़े हैं। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनों अभियुक्तों 1. शैलेन्द्र सिंह उर्फ गोरे पुत्र विश्वनाथ सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, नि0 ग्राम पहाड़पुर, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर तथा 2. रामभजन उर्फ नन्हेलाल पुत्र नत्थूलाल, उम्र करीब 50 वर्ष, नि0 ग्राम अमईयापुर, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ गोरे के कब्जे से 25 ग्राम तथा अभियुक्त रामभजन उर्फ नन्हेलाल के कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक (कुल 46 ग्राम), जामा तलाशी में 600 रुपये एवं 03 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। अभियुक्तगण को दिनांक 22.11.2026 को समय 20:36 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 536/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- शैलेन्द्र सिंह उर्फ गोरे पुत्र विश्वनाथ सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़पुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- रामभजन उर्फ नन्हेलाल पुत्र नत्थूलाल, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम अमईयापुर थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0 536/26 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थानः

- दिनांक 23.11.2026 को समय 20.36 बजे, अटसलिया रेलवे ओवर ब्रिज वहद के पास से।

बरामदगी का विवरणः-

1. 25 ग्राम व 21 ग्राम स्मैक कुल 46 ग्राम
2. 2.जामा तलाशी के 600 रुपये
3. तीन अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार
3. उ0नि0 विजय कुमार
4. का0 विजेन्द्र सिंह।
5. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
6. का0 कार्तिक बालियान
7. का0 लवीश कुमार।